क्र०सं० 87/19 जगपत v/s ग्राम पंचायत नारेहा
प्रा० पत्र 212 R.T. Act

14-3-22 वकुलादि [illegible] उपस्थित।
पीठासीन [illegible] तौर/अवकाश
पर है। [illegible] है।
पत्रावली 2-5-22 को पेश हो।

2/5/22 अधिवक्ता गण अपने अभिलेख की पुनः तस्दीक हेतु नोटिस तामील पेश किये जाने की पत्रावली दि 31/6/2022 को पेश हो।

3-6-22 वकुलादि करीकेन उपस्थित।
पीठासीन अधिकारी तौर/अवकाश
पर है। अन्य कार्यों में व्यस्त है। [illegible]
पत्रावली दि. 10-8-22 को पेश हो।

10-8-22 अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक संघ ने कोर्ट कार्य स्थगित रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30-9-22 को पेश हो।

30.9.22 अधिवक्ता गण अनुपस्थित। अधिवक्ता गण को बार-बार अवसर लगवाई गई। लेकिन न्यायालय समय समाप्ति तक गण एवं अधिवक्ता गण कोई भी उपस्थित नहीं हुए इसलिए गण का [illegible] एवं अब पूरा में लागत लिया जाता है। पत्रावली निर्णित घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rishav Mandal
Date: 2022.12.14 17:29:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि